

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक/एफ-44/4/2019/20-2/—482

भोपाल दिनांक 10/04/19

प्रति,

कलेक्टर,

जिला — समस्त जिले म0प्र0

विषय:— शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओ के युक्तियुक्तकरण के संबंध में।

सन्दर्भ:— मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-44/4/2013/20-2/8566 भोपाल दिनांक 12.09.2013

म.प्र शासन स्कूल शिक्षा विभाग के संबद्धित पत्र का अवलोकन करना चाहें, जिसमें निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अन्तर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 26 मार्च 2011 के तहत पड़ोस की सीमा में प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओ का निर्धारण करते हुए जिले स्तर से शालाओ को प्रारंभ करने या बंद करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये हैं। जिसके परिपालन में जिला स्तर से प्रदेश में लगभग 3350 शालाओ को बंद/मर्ज करने कि कार्यवाही की गई है। जिला स्तर से नवीन संस्थाये प्रारंभ/बंद करने से राज्य स्तर पर इसकी अद्यतन जानकारी प्राप्त नहीं हो पाने के कारण उन शालाओ का शिक्षा पोर्टल में जोड़ने एवं हटाने कि कार्यवाही लंबित रहती है। नवीन शालाओ कि जानकारी पोर्टल पर अद्यतन नहीं होने से उस विद्यालय में अध्ययनरत छात्र शासकीय सुविधाये प्राप्त होने में अनावश्यक विलंब होता है तथा अतिरिक्त भवन की आवश्यकता का आकलन भी समय पर नहीं हो पाता है।

2/ मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रं./एफ-44-19/2018/20-2/दिनांक 05.09.2018 के अन्तर्गत एक ही परिसर में संचालित विभिन्न स्तर/समान स्तर की शालाओ को एकीकृत करते हुए एक परिसर एक शाला के रूप में संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके अन्तर्गत एक परिसर में संचालित शालाओ को एक शाला के रूप में संचालित करने की कार्यवाही प्रचलन में है।

उपरोक्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रं./एफ-44/4/2013/20-2/8566 दिनांक 12.09.2013 को अतिक्रमित करते हुए जिला स्तर पर शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओ को प्रारंभ/बंद करने की व्यवस्था को समाप्त किया जाता है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत जिले में आवश्यकता होने पर शाला को प्रारंभ/बंद करने के लिए जिला कलेक्टर से प्रस्ताव राज्य शिक्षा केन्द्र को प्रेषित किया जाये एवं राज्य शिक्षा केन्द्र से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात ही शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शाला प्रारंभ/बंद करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(प्रमोद सिंह)

उप सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक/एफ-44/4/2019/20-2/—483


भोपाल दिनांक 10/04/19

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, समन्वय, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।

अ/क

3. विशेष सहायक, मंत्री जी, / राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन जन जातिय एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
8. आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र. भोपाल।
9. आयुक्त, जन जातिय विभाग म.प्र. भोपाल।
10. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र.भोपाल।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले म0प्र0 की ओर सूचनार्थ। .
12. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण समस्त संभाग म.प्र।
13. जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
14. सहायक आयुक्त, जन जातिय विकास विभाग म0प्र0।
15. जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।


उप सचिव

म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग